राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ सड़क निर्माण / देवली / 18/ 78274 दिनांक :– 04.10.2018

स्वीकृति आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई बजट घोषणा वर्ष 2017–18 की क्रियान्वति के क्रम में राज्य के समस्त नगर निकाय क्षेत्रों में सड़क निर्माण / सड़क सुधार (Road Restoration) से सम्बन्धित कार्य करवाये जाने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक प.6(ड)लेखा / डीएलबी / 2017 / सड़क निर्माण / 20677 दिनांक 08.11.2017 द्वारा नगर पालिका क्षेत्र देवली में राशि रू. 4.23 करोड़ की लागत से कार्य करवाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (RUIRP-I) जारी की गयी थी। इसके उपरान्त (RUIRP-II) के अन्तर्गत राशि रू. 2.83 की लागत से विभिन्न कार्य करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिये गये निर्देशो के अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्र देवली में अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये तकमीने के अनुसार एक STP Plant लगाया जाकर सीवर / गन्दे पानी को साफ करके झील में डालने का कार्य एवं झील के चारों तरफ पाथ–वे का निर्माण बेंच एवं रेलिंग लगाने एवं अन्य सौन्दर्यकरण के कार्य अनुमानित लागत राशि रू. 08.50 करोड़ की लागत से करवाये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माननीय मंत्री महोदय से अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रदान की जाती है।

उक्त कार्य की क्रियान्विति हेतु अतिरिक्त राशि रूपयें 08.50 करोड़ की व्यवस्था RUIRP-I के अन्तर्गत नगरीय निकाय क्षेत्रों में क्रियान्वित करवाये जा रहे कार्यो हेतु आमन्त्रित की गई निविदा में "Rate Quoted below Tender Price" से होने वाली बचत राशि से की जायेगी।

01. निकाय राशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाना सुनिश्चित करेगा, जिस हेतु राशि जारी की गई है।
02. निकाय इस राशि के व्यय में RTPP Act 2012/Rules 2013 संबंधित वित्तीय नियमों एंव निर्धारित प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा।
03. निकाय RUIRP-I अन्तर्गत जारी किये गये दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ही उक्त राशि व्यय करेगा।
04. उक्त करवाये जाने वाले कार्यो की थर्ड पार्टी एजेन्सी विभाग के द्वारा पूर्व में जारी की गये दिशा निदेशानुसार ही होगी।
05. इस संबंध में नगर पालिका देवली CISF से पहले STP के लिए भूमि उपलब्ध कराने बाबत सहमति एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मंदिर परिसर एवं झील के चारों ओर किये गये सौन्दर्यीकरण, पार्क व पाथ–वे का उपयोग आम–जन के द्वारा किये जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगी।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ सड़क निर्माण / देवली / 18/ 78275–286 दिनांक :– 04.10.2018
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वा0 शासन विभाग राज0 जयपुर।
05. जिला कलक्टर, टोंक।
06. अध्यक्ष, नगर पालिका, देवली।
07. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
08. कार्यकारी निदेशक, रूडसिकों, लालकोटी स्कीम, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त कार्य की डीपीआर का तकनिकी परीक्षण करने एवं राशि रू. 08.50 करोड़ नगर पालिका, देवली को हस्तान्तरण करने की सुनिश्चिता करें।
09. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
10. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
11. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवली को प्रेषित कर लेख है कि कार्य की डीपीआर तैयार कर रूडसिको, जयपुर को तकनीकी परीक्षण करवाकर निविदा आमंत्रित करना सुनिश्चित करें।
12. प्रभारी वेबसाईट / समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

4/10/18